milk containing any foreign substances which are injurious to health.

(e) The Food (Health) Authorities of States/UTs who are responsible for implementation of PFA Act have been alerted to be more vigilant about such contaminants, and to draw maximum number of samples for analysis and take punitive action to ensure sale of pure and wholesome food to the consumer.

Loan from World Bank for Family Planning projects in som eStates

206. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether World Bank has taken any decision to consider 88.6 million dollar credit to India for the family welfare projects in Assam, Rajasthan and Karnataka; and

(b) if so, the steps taken by Government to monitor the World Bank aid to States?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) Yes, Sir; the project has been approved last month.

(b) The World Bank aid to the states will be monitored by Empowered Committees at the States level, periodical review meetings between Central and State officials as well as monthly and quarterly reports obtained from the States. The progress of the project will also be assessed while releasing funds from time to time.

दुग्ध एवं अन्य खाद्यान्नों में पाये जाने वाले विषैले अवशेषों के संबंध में आई० सी०एम०आर० द्वारा अध्ययन

207. **श्री सोमपाल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई०सी० एम०आर०) ने दुग्ध एवं अन्य खाद्यान्नों में पाये जाने वाले विषैले अवशेषों के संबंध में कुछ खोजपूर्ण अध्ययन एवं अनुसधान किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो दूध सहित किन अन्य खाद्यान्नों में इस प्रकार के विषैले तत्वाशेष पाये गये हैं और उनका परिणाम क्या है ;

(ग) विभिन्न खाद्य पदार्थों में इस प्रकार के हानिकारक विषैले तत्वों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक स्तर क्या है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययन में पाया गया स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से कम अथवा अधिक है ;

(घ) क्या इसके अतिरिक्त भी भारत में सरकारी, अर्द्ध सरकारी या कुछ और सरकारी संस्थाओं/संस्थानों द्वारा ऐसे अध्ययन किये गये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया है;

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है या उठाना चाहती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) दूध के नमूनों, शिशु खाद्य पदार्थों, मक्का, सरसों, बिनौलों और तिलों में कीटनाशक अवशिष्ट होने का पता लगाया गया है। शिशु खाद्य पदार्थों, डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थों और हल्दी के नमूनों में विषैले खनिजों का पता लगाया गया है। मूंगफली, मक्का और लाल मिर्च के नमूनों में एफ्लेटोक्सिन होने का पता लगाया गया है। वैसे अधिकतर नमूनों में इन संदूषकों के पुट खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई अनुमत्य सीमाओं के भीतर पाये गये।

(ग) कोडेक्स के अन्तर्गत इन संदूषकों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें इस प्रकार हैं:—

दूध में – डी.डी.टी– 0.5 मि.ग्रा./कि.ग्रा. ;

दूध में – गाम्मा–एच.सी.एच. – 0.01 मि. ग्रा./कि.ग्रा.;

अनाज के उत्पादों में – गाम्मा–एच.सी.एच.– 0.2 मि.ग्रा./कि.ग्रा.;

डिब्बा बन्द फल उत्पादों में–

–तदेव– –आर्सेनिक : 0.2 मि.ग्रा./कि.ग्रा.;

–तदेव– –सीसा : 0.3 मि.ग्रा./कि.ग्रा.;

–तदेव– –तांबा : 5.0 मि.ग्रा./कि.ग्रा.;

–तदेव– –जस्ता : 5.0 मि.ग्रा./कि.ग्रा.; और

–तदेव– –टिन : 250 मि.ग्रा./कि.ग्रा.;

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन किये गये कुछेक नमूनों में इन संदूषकों के अवशेष स्तर सीमाओं से अधिक पाये गये।

(घ) और (ङ) जी, हां।

(च) यद्यपि इन अध्ययनों के निष्कर्ष से विभिन्न उत्पादों में कीटनाशक अवशेष होने का पता चलता है, तथापि अधिकतर नमूनों में अवशेष स्तर निर्धारित सीमाओं के काफी भीतर पाये गये।

(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमों के प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी हैं, की बार-बार उत्पादों में ऐसे संदूषकों के बारे में सतर्क रहने और विश्लेषण करने के लिये ज्यादा से ज्यादा संभव संख्या में नमूने लेने और उपभोक्ताओं को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य उत्पादकों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिये समुचित कार्रवाई करने के लिये जोर दिया गया है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उनका दर्जा बढ़ाने के लिये सहायता की गई है, और कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन

208. **श्री राम जेठमलानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई 1994 के दैनिक 'आब्जर्वर' में जे. के. इसेटिब्स फार एन. आर. आई.ज-इनवेस्टिंग इन रिअल एस्टेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों को जम्मू कश्मीर राज्य में पूंजी लगाकर आवासीय भूमि खरीदने और उसे विकसित करने की पेशकश की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इन्हीं परिस्थितियों में भारत के अन्य नागरिकों को भी यह अवसर प्रदान करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार को 5 जुलाई, 1994 को "दैनिक "आब्जर्वर" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है